न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 142/2021 (2021/302)

1. श्रीमति अन्ना देवी पत्नि श्री अम्बालाल उम्र व्यस्क जाति मीणा निवासी चीतीवास तहसील सावर जिला अजमेर।

---वादीगण

♠ बनाम ♠

1. प्यारेलाल पुत्र श्री घीसा उम्र व्यस्क जाति मीणा निवासी चीतीवास तहसील सावर जिला अजमेर।
2. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सावर तहसील सावर जिला अजमेर।
3. श्रीमान तहसीलदार साहब सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

--- प्रतिवादीगण

4. श्रवण पुत्र श्री घीसा उम्र व्यस्क जाति मीणा निवासी चीतीवास तहसील सावर जिला अजमेर।
5. अम्बालाल पुत्र श्री घीसा उम्र व्यस्क जाति मीणा निवासी चीतीवास तहसील सावर जिला अजमेर।

--प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. श्री मिठू सिंह राठौड –वादी अधिवक्ता
2. श्री जितेन्द्र राज पुरोहित–प्रफोर्मा प्रतिवादी अधिवक्ता

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,89,188,209 राज.टिनेन्सी एक्ट

–:: निर्णय ::–

दिनांक 25.5.2022

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188,209 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। कि निम्नलिखित आराजीयात वाके ग्राम चीतीवास तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
211–48	790	0.01	गै.मु.चाह
	791	0.50	जाव 1 चाही 1
	792	0.30	जाव 1 चाही 1
	793	0.60	जाव 1 चाही 1
	कुल किता 4	कुल रकबा 1.41है.	

वाद वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है जिसको वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से विक्रय प्रतिफल की राशि प्रतिवादी संख्या 1 को अदा करके वादीया के हक में दिनांक 16.05.2019 को क्रय की । क्रय की दिनांक से ही 1/3 हिस्सा वादीया की खातेदारी, कब्जे, स्वामित्व, आधिपत्य, उपयोगय उपभोग में चला आ रहा है जिसमें वादीया के अलावा दीगर व्यक्ति या प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कानूनन हक हिस्सा अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजी पर विक्रय के समय प्रतिवादी संख्या 2 से उसके खातेदारी के हिस्सा 1/3 हिस्सा को रहन रखकर ऋण ले रखा था ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.24 11:37:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

उसने कहा था कि प्रतिवादी संख्या 2 का ऋण चुकता कर दूंगा व विक्रयपत्र से नामान्तरकरण तुम्हारे नाम करवा लेना परन्तु विक्रयपत्र के निष्पादन व पंजीयन के बाद भी प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 का ऋण अदा नहीं किया है । वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा ऋण जमा कराने हेतु तकाजा वादग्रस्त आराजी का किया परन्तु वह प्रति वर्ष नया पुराना के.सी.सी. ऋण वादग्रस्त आराजी पर करता चला आ रहा है इस कारण प्रतिवादी संख्या 3 व इसके मातहत अधिकारी राजस्व रेकार्ड में वादीया के नाम विक्रयपत्र दिनांक 16.05.2019 के द्वारा नामान्तरकरण दर्ज नहीं कर रहे है। वादीया ने दिनांक 15.08.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 2 से वादग्रस्त आराजी को रहन रखकर लिये गये ऋण की अदायगी हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने धमकी दी कि विक्रयपत्र की भोगली बनाकर रख लो, ऋण जमा नहीं कराऊंगा तथा वादग्रस्त आराजीयात के 1/3 हिस्से को खुर्द बुर्द, अन्तरण, हस्तान्तरण करूंगा, मेरे नाम है तथा वादीया के खरीदशुदा 1/3 हिस्से की खातेदारी की वाद वर्णित आराजीयात से जबरन बेदखल करने एवं कब्जे काश्त, स्वामित्व, आधिपत्य, उपयोग उपभोग खातेदारी में बाधा उत्पन्न करने एवं फसल को नष्ट भ्रष्ट करने की धमकी दी अतः वादपत्र वादग्रस्त आराजी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 16.05.2019 के द्वारा खरीद किया है तथा खरीद की दिनांक से ही वादीया के कब्जे काश्त, स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी, उपयोग उपभोग में चली आ रही है, का वादीया को प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के साथ 1/3 हिस्सा का सह खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देश दिया जावे कि वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 2 से रहन मुक्त करवा लेवे एवं प्रतिवादी संख्या 2 उक्त ऋण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चुकता करने के बाद उक्त आराजी पर पुनः ऋण अदा नहीं करें इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञ से पाबन्द किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी का 1/3 हिस्सा जो उसने वादीया को विक्रय कर दिया है, में वादीया के कब्जे काश्त, स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी, उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें न ही कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करें न ही जबरन बेदखल करें न ही फसल को नष्ट भ्रष्ट करें तथा उक्त आराजी को रहन मुक्त करवाकर भारमुक्त करवा देवे एवम् विक्रय के बाद भी प्रतिवादी संख्या 1 ने ऋण ले रखा है इस कारण उसकी खातेदारी में गलत दर्ज होने के कारण किसी प्रकार से खुर्द बुर्द, बैचान, अन्तरण, हस्तान्तरण नहीं करें इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे अतः वादपत्र खातेदारी की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत करना लाजमी आया है। वादग्रस्त आराजी का वादीया के हक में प्रतिवादी संख्या 1 निष्पादित विक्रयपत्र दिनांक 16.05.2019 के द्वारा वादीया को 1/3 हिस्सा आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द बुर्द, अन्तरण, हस्तान्तरण करने एवं कब्जे काश्त, आधिपत्य, खातेदारी, उपयोग0 उपभोग से जबरन बैदखल करने से नहीं रोका जाता है तो वादीया को अजहद हानि होगी एवम् बहु वाद कार्यवाहीयां होगी जिससे वादीया को अनेकानेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा अतः वादीगण को खातेदार काश्तकार 1/3 हिस्सा आराजी का घोषित किया जाना एवं प्रतिवादी संख्या 2 से रहन मुक्त करवाई जाना एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वाद का कारण दिनांक 15.8.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया को वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.24 11:37:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

जबरन बेदखल करके खुर्द,बुर्द,अन्तरण, हस्तान्तरण करने, फसल नष्ट भ्रष्ट करने एवं ऋण मुक्त नही करवाने की धमकी देने के कारण उत्पन्न हुआ एवं दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादीया को 1/3 हिस्सा आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवम् प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जावे। इस हेतु प्रतिवादी संख्या 3 को आदेश दिया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया जावे कि वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से पर लिये गये ऋण को प्रतिवादी संख्या 1 से वसूल कर ऋण मुक्त करवा लेवे। तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादीया की खरीदशुदा वाद वर्णित आराजी के 1/3 हिस्से में वादीया के कब्जे काश्त, स्वामित्व, उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे। न ही जबरन बेदखल करें न ही किसी प्रकार का अतिक्रमण करे। स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाब सरकार में टिपणी अंकित कि वाद वर्णित आराजी खातेदारी भूमि है राजहित प्रभावित नही होता है जवाब सरकार आवश्यक नही है। पत्रावली शहादतवादी में वादिया श्रीमति अन्नादेवी पी.डब्ल्यू 1, गवाह श्री गोपाल पी.डब्ल्यू 2 व श्री लादूराम पी.डब्ल्यू 3 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। फर्द के साथ विक्रय पत्र दिनांक 16.5.2019 पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। बहस सुनी गई।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पक्षकारान की बहस पर मनन किया, वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहान, व असल विक्रय पत्र दिनांक 16.5.2019 का अवलोकन किया अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा डिग्री वादीया के पक्ष में स्वीकार किया जाता है तथा वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 का वादवर्णित आराजीयात ग्राम पीपलियास तहसील सावर के खाता संख्या नया-पुराना 211-48 के खसरा संख्या 790,791,792,793 का रकबा 0.01, 0.50, 0.30, 0.60हैक्टर कुल किता 4, कुल रकबा 1.41हैक्टर में 1/3 हिस्सा खरीदशुदा का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 3 का आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्से पर नाम विलोपित कर वादिया के नाम 1/3 हिस्सा आराजी राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे। तथा उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से ऋण ले रखा है व प्रतिवादी संख्या 2(बैंक) के रहन है इस हेतु प्रतिवादी संख्या-2(बैंक) प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व रहन वसुली कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं व उनके रिश्तेदार को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीया के खरीदशुदा आराजी के 1/3 हिस्से के खातेदारी आराजी के कब्जे काश्त, स्वामित्व, आधिपत्य, उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.24 11:37:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी:– विकास पंचोली (आर.ए.एस)

1. श्रीमति अन्ना देवी पत्नि श्री अम्बालाल उम्र व्यस्क जाति मीणा निवासी चीतीवास तहसील सावर जिला अजमेर।

---वादीगण

♠ बनाम ♠

1. प्यारेलाल पुत्र श्री घीसा उम्र व्यस्क जाति मीणा निवासी चीतीवास तहसील सावर जिला अजमेर।
2. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सावर तहसील सावर जिला अजमेर।
3. श्रीमान तहसीलदार साहब सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

--- प्रतिवादीगण

4. श्रवण पुत्र श्री घीसा उम्र व्यस्क जाति मीणा निवासी चीतीवास तहसील सावर जिला अजमेर।
5. अम्बालाल पुत्र श्री घीसा उम्र व्यस्क जाति मीणा निवासी चीतीवास तहसील सावर जिला अजमेर।

--प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,89,188,209राज.टिनेन्सी एक्ट
मुकदमा नम्बरः– राजस्व वाद 142/2021 (2021/302)
निर्णय दिनांकः– 25.05.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी केकड़ी बहाजिरी श्री मिठू सिंह राठौड वकील वादी व श्री जितेन्द्र राजपुरोहित वकील प्रफोमा प्रतिवादी अधिवक्ता, की ओर से व पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सावर हाजिर मुददावलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 का वादवर्णित आराजीयात ग्राम चीतीवास तहसील सावर के खाता संख्या नया–पुराना 211–48 के खसरा संख्या 790,791,792,793 का रकबा 0.01, 0.50, 0.30, 0.60हैक्टर कुल किता 4, कुल रकबा 1.41हैक्टर में 1/3 हिस्सा खरीदशुदा का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 3 का आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्से पर नाम विलोपित कर वादिया के नाम 1/3 हिस्सा आराजी राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे। तथा उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से ऋण ले रखा है व प्रतिवादी संख्या 2(बैंक) के रहन है इस हेतु प्रतिवादी संख्या–2(बैंक) प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व रहन वसूली कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं व उनके रिश्तेदार को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीया के खरीदशुदा आराजी के 1/3 हिस्से के खातेदारी आराजी के कब्जे काश्त, स्वामित्व, आधिपत्य, उपयोग, उपभोग, में बाधा उत्पन्न नही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

चीज ....मुबलिक..बाबत्...............................

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक........................ ....को अदा करे

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 मई 2022 को जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

मुहर

मुददई		रूपया	पैसा	मुदयलाह		रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	....	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	....	0	0
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील	....			महनताना वकील	....		
खर्चा गवाहान.	....			खर्चा गवाहान	....		
फीस कमिश्नर.	....			फीस कमिश्नर	....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	....			बाबत इजराय हुक्मनामा	....		
मुतफरिक	....	———	———	मुतफरिक	....	———	———
मीजान		0	0	मीजान		0	0

नोट– इस प्रकार के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिया गया या नही दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.24 11:37:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner